[Social Issues and Environmental Problems,Vol.3 (Iss.9:SE): Sep, 2015] ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)
DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v3.i9SE.2015.3265

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

खेती के नये आयामः समझौता कृषि

हरीश केशरवानी
जे आर एफ, शोध छात्र, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

साराँष
बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवन शैली, कृषिगत उत्पादों का व्यवासायीकरण के साथ साथ मौसमी परिवर्तनशीलता, उत्पादन प्रवृत्ति मे बदलाव और कृषिगत विषमता के परिणाम स्वरूप सबसे प्रमुख मुददा कृषि के सुधार और विकास का है। मानव अपने विकास की चाहे जो सीमा निर्धारित कर ले परंतु उसकी उदरपूर्ति जमीन से उगे आनाज या उसके प्रसंस्करण से ही होगी। कृषि के संदर्भ मे तमाम प्रकार के बदलावों के परिणाम स्वरूप कृषि प्रणाली मे भी बदलाव देखे जा सकते हैं। साथ ही विश्व की जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है तथा भारत के संदर्भ मे यह तथ्य है कि यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनंख्या वाला देश है जो 2030 तक यह चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। साथ ही भारत की आबादी मे प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग बढ़ जाते है जिनकी आवश्यकता हेतु रोटी, कपड़ा, मकान की मॉग मे भी वृद्धि होती जाती है।
कृषि उत्पादन के संदर्भ मे 1960 के दशक मे हरित क्रान्ति आई और कृषि उत्पादन मे लगातार वृद्धि हुई परंतु वर्तमान (हरित क्रान्ति के 55 वर्ष के पश्चात) मे इसके कई नकारात्मक प्रभाव जिसमे प्रदूषण, उत्पादकता मे कमी, बीजों की प्रतिरोधक क्षमता मे कमी, कृषिगत असमानता, उत्पादन आधारित असमानता इत्यादि। मॉग और जरूरतों के हिसाब से कृषि के परंम्परागत स्वरूप मे बदलाव भी किया जाना चाहिए जिससे कृषि उत्पादन तो बढ़े साथ ही किसानो को भी ज्यादा लाभ हो सके और कृषि कार्य बोझ न रहे। इन उपरोक्त मुददों को निबटाने के लिए सबसे बेहतर उपाय साझौता आधारित कृषि है।
प्रस्तुत शोध पत्र मे कृषि विकास के विविध पक्षों को देखते हुए समझौता कृषि संदर्भ मे विकास की संभावनाओं पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिससे बढ़ती जनसंख्या और बदलती जीवन शैली के लिए लाभदायक और उद्देश्यपूर्ण होगा। साथ ही भारत के संदर्भ मे समझौता कृषि के विकास की संभावनाओं और अवसरों के साथ कुछ रणनीतिक सुझाव भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना
वर्तमान समय मे विश्व मे बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवन शैली, कृषिगत उत्पादों का व्यवासायीकरण के साथ साथ मौसमी परिवर्तनशीलता, उत्पादन प्रवृत्ति मे बदलाव और कृषिगत विषमता के परिणाम स्वरूप सबसे प्रमुख मुददा कृषि के सुधार और विकास का है। क्यों कि मानव समुदाय की प्राथमिक आवश्यकता भोजन से शुरू होती है और इसकी आपूर्ति सिर्फ उत्पादित पदार्थों से ही संभव है। मानव अपने विकास की जो सीमा निर्धारित कर ले परंतु उसकी उदरपूर्ति जमीन से उगे आनाज या उसके प्रसंस्करण से ही होगी। वर्तमान मे वैश्विक परिदृश्य मे हो रहे तमाम प्रकार के बदलावों के परिणाम स्वरूप कृषि प्रणाली मे भी बदलाव देखे जा सकते हैं। ऐसे मे यह और महत्वपूर्ण हो जाता है जब विश्व की जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही हो। भारत के संदर्भ मे यह बात एक तथ्य है कि विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनंख्या वाला देश है और संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑकलन के अनुसार 2030 तक यह चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। साथ ही भारत की आबादी मे प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग बढ़ जाते है जिनकी आवश्यकता हेतु रोटी, कपड़ा, मकान की मॉग मे भी वृद्धि होती जाती है।

कृषि उत्पादन के संदर्भ मे 1960 के दशक मे हरित क्रान्ति आई और कृषि उत्पादन मे लगातार वृद्धि हुई परंतु वर्तमान (हरित क्रान्ति के 55 वर्ष के पश्चात) मे इसके कई नकारात्मक प्रभाव जिसमे प्रदूषण, उत्पादकता मे कमी, बीजों की प्रतिरोधक क्षमता मे कमी, कृषिगत असमानता, उत्पादन आधारित असमानता इत्यादि। यह भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि कृषिगत उत्पादन मे आनुपातिक रूप से गिरावट हो रही है। इसके साथ ही मानसून की अनिश्चितता और वर्षा का विचलन ने और ज्यादा प्रभावित किया है इस दशा मे भारतीय कृषि को न समाकेतिक विकास की आवश्यकता है बल्कि कृषि के परंम्परागत स्वरूप मे बदलाव भी किया जाना चाहिए जिससे कृषि उत्पादन तो बढ़े साथ ही किसानो को भी ज्यादा लाभ हो सके और कृषि कार्य बोझ न रहे। वर्तमान समय मे कृषि विकास का जो सबसे प्रमुख मुददा हो वो है किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुचाने का जिससे आर्थिक असमानता कुपोषण, गरीबी, प्रछन्न बेरोजगारी को दूर किया जा सके अन्य पहलू मे ग्रामीण नगरीय पलायन पर नियंत्रण, रोजगार सुरक्षा, खुशहाल जीवन, प्रतिव्यक्ति आय, नवाचारों का प्रसरण इत्यादि का विसरण हो सके। इन उपरोक्त मुददों को निबटाने के लिए सबसे बेहतर उपाय साझौता आधारित कृषि है।

समझौता कृषि एक नियोजित और पूर्व निर्धारित कृषि उत्पादों का क्रय विक्रय का तरीका होता है जिसमे किसान व्यापारियों से या व्यापारी किसानों से फसल बोने से पूर्व ही समझौता कर लेते हैं और उसी के हिसाब से क्रय विक्रय किया जाता है। समझौता कृषि तरीके मे दोनों पक्षों की जिम्मेदारी और भूमिका महत्वपूर्ण होती है जिसमे किसानों और खरीददारों दोनों पर ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का दबाव बना रहता है परिणाम स्वरूप फसलों का उत्पादन और वितरण सही हो पाता है समझौता कृषि विकसित देशों मे कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है परंतु भारत जैसे विकासशील देश मे यह ज्यादा प्रचलित नही है।

समझौता कृषि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमे दानें पक्षों को अपना उत्तरदायित्व निभाना होता हैं। कभी कभी अत्यधिक उत्पादन, या आर्थिक मंदी कीमतों मे गिरावट से जहॉ किसानों का पक्ष ज्यादा लाभदायक होता है वहीं खराब मौसम, फसलों का नष्ट हो जाना या कम उत्पादन की दशा मे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। परंतु ज्यादातर दशाओं मे दानों पक्षों को अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। समझौता कृषि किसानों को आकस्मिक घटनाओं और लाभ हेतु परिस्थितियॉ दिलाती हैं क्यों कि फसल उत्पादन के पश्चात बाजार मे लगभग सारे फसलों की कीमतों मे गिरावट होती है ऐसे मे उनको इसका लाभ मिलता है। भारत मे कृषि अभी भी विकसित दशा मे नही है और खेती के पारंपरिक तरीके और किसानों के पास व्यापक जागरुकता के आभाव मे कृषि प्रचार हेतु समझौता कृषि एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर सकती है।

भारत मे कुल भूमि के 51: भू भाग पर कृषि या उससे संबंधित कार्य किया जाता है जिसमे देश की 54: से भी जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है परंतु सकल अर्थव्यवस्था मे इसका योगदान मात्र 14: के आसपास है। यद्यपि उपरोक्त कम उत्पादकता के कई विविध कारण हैं परंतु समझौता कृषि के माध्यम से कृषिगत विषमता को काफी मात्रा मे दूर किया जा सकता है। भारत मे कुल कृषि मे से 80: हिस्से मे खाद्यान्न और 20: मे नगदी व व्यावसायिक खेती की जाती है इन व्यावसायिक खेती मे रोपण कृषि, बागाती कृषि, डेयरी, मुर्गीपालन, फल – फूल की खेती, सब्जियॉ इत्यादि। परंतु कुल खेती मे मात्र 4: हिस्सा समझौता कृषि के तहत किया जाता है इसमे भी देखा जाए तो खाद्यन्न उत्पादन मे मात्र 2: और व्यावसायिक खेती का 10: हिस्सा आता है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत मे समझौता कृषि के विस्तार की अपार संभावनाएं विद्यमान है।

समझौता कृषि से किसानों को कई प्रकार की समस्या से छुटकारा मिल सकता है और उनके हितों की सुरक्षा भी आसानी से की जा सकती है और यह तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब उत्पादन पश्चात कीमतों मे गिरावट, बिचौलियों का प्रभाव, भण्डारण सुविधा का आभाव, वित्तीय समस्याएं अथवा परिवहन लागत मे वृद्धि हो रही हो। समझौता कृषि से किसानों को ज्यादा लाभ, जमीदारों के प्रभाव मे कमी, संस्थागत लाभ और आकस्मिक मदद की सुविध हो सकेगी।

समझौता कृषि मे लगभग सभी फसलों को शामिल किया जा सकता है परंतु यह किसानों और खरीददार व्यावसायी के बीच निर्भर करता है कि कौन सी फसल के ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। फिर भी किसानों का ज्यादा लाभ के लिए बाजारोंन्मुख अथवा ज्यादा खपत अथवा लाभ वाली फसल को प्राथमिकता दी जानी

चाहिए। सामान्य रूप से भारत मे फसल विविधीकरण तो पाया जाता है परंतु यह सिर्फ जीवकोपार्जन हेतु ही किया जाता है यदि इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा तो इसके लागत मे कमी और लाभ ज्यादा होगा। ज्यादातर विकसित कृषि क्षेत्र वाले जगहों पर समझौता कृषि भी समुन्नत रूप मे पाई जाती है जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र इसके अलावा दक्षिण भारत मे बागाती कृषि तथा विभिन्न प्रकार के बागानों मे यह ज्यदा सफल है।

जब खाद्यान्न फसलों को व्यापक पैमाने और विस्तृत कृषि की जानी हो तो किसानों के लिए ज्यादा लाभप्रद है इन खाद्यान्न फसलों मे गेहूँ, धान, दलहन, तिलहन जैसे फसलों को शामिल किया जा सकता है। कई राज्यों मे फसल उत्पादन मे फल–फूल और सब्जियों के उत्पादन मे प्राथमिकता दी जाती है जिसमे इसके उत्पादन प्रणाली का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा समझौता आधारित होने लगा है। इसमे बड़े बड़े व्यावसायिक समूह पूर्व मे ही उत्पादनों की कीमत का समझौता कर लेते हैं इस तरह के उदाहरण मे महाराष्ट्र मे संतरा, अंगूर, प्याज, केला, हिमाचल प्रदेश मे सेव के बागान, आन्ध्र प्रदेश मे तम्बाकू, गुजरात मे कपास और मूगफली, कर्नाटक मे काफी, आसाम मे चाय की खेती के लिए किये जाते हैं।

समझौता आधारित कृषि मे एक नया आयाम देखने को मिल रहा है जिसमे बड़े बड़े किसानों की भूमि अथवा कई किसानों की भूमि का एकत्रीकरण कर कुछ व्यावसायिक समूह उसमे वैज्ञानिक पद्यति से कृषि कर रहे हैं और उसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। इस पद्यति से खेती मे कम निवेश से ही ज्यादा लाभ, कृषि प्रबंधन और ज्यादा उत्पादकता प्राप्त होती है।

समझौता आधारित कृषि यदि पूरे जानकारी और उसकी उपबंधों को ध्यान मे रख कर किया जाए तो इसके बहुआयामी और त्वरित लाभ देखे जा सकते हैं। जबकी इसके उदाहरण और आयामों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके सबसे पहले लाभ मे यह कहा जा सकता है कि यह एक नियोजित प्रणाली पर आधारित रहती है जिसमे कृषि उत्पादन के तरीके, उत्पादन पश्चात विक्रय इत्यादि क्रमशः निर्धारित रहता है और किसानों को ज्यादा कठिनाई नही होती। परिणाम स्वरूप किसानों के लाभ का पूर्व निर्धारण हो जाता है। इसके साथ ही कीमतों पर नियंत्रण और कालाबाजारी कों भी नियंत्रित रखा जा सकता है।

समझौता आधारित कृषि से किसान पूर्व मे ही फसल क्षेत्र, या शुद्ध बोया क्षेत्र मे वृद्धि तथा भूमि संसाधन का ज्यादा से ज्यादा बेहतर उपयोग का प्रयास करेगा जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता दोनों मे ही वृद्धि की जा सकेगी।

समझौता आधारित कृषि से ग्रामीण क्षेत्रों अथवा कृषि प्रधानता वाले क्षेत्रों मे विपणन प्रक्रिया का विकास और विस्तार होगा तथा तृतियक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा जिसमे स्थानीय रूप से रोजगार और अवसंरचनात्मक सूविधा भी विस्तार होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों मे आज भी परिवहन व्यवस्था और कृषि उत्पादों हूतु बेहतर सुविधाएं नही है जिससे फसल का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित होता है यदि किसान उसका भण्डारण करके बाद मे बेचना चाहे तो चाहकर भी ऐसा नही कर सकता। इसके अलावा परिवहन साधनों के आभाव मे कृषि मण्डी या बाजार तक नही पहुच पाता परंतु समझौता आधारित कृषि के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं पहले ही खत्म हो जाती हैं क्यों कि उत्पादन के बाद सारी जिम्मेदारी क्रेता की हो जाती है।

समझौता कृषि से कृषि तरीके को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक, तकनीकी का प्रयोग और कृषि के आधुनिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं जो न केवल उत्पादन मे वृद्धि करेगी वरन मृदा की गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन को भी शामिल करेगी इससे कई सारे दूरगामी आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

समझौता कृषि से व्यापक पैमाने पर शस्य विविधता और शस्य गहनता को बढ़ाया जा सकता है इसके माध्यम से शुद्ध बोया क्षेत्र मे वृद्धि के साथ साथ कुल बोया क्षेत्र भी बढ़ाया जा सकेगा जो स्वंय लाभदायकक होगा। समझौता कृषि विकास के लियं आवश्यक और लाभदायक दोनों है परंतु भरतीय कृषि मे कुछ मुददे ऐसे हैं जिसके पूर्ण समधान के बिना इसे पूरा लाभदायाक नही बनाया जा सकता क्यों की ये मुददे अवरोधक और समझौता आधारित कृषि के लाभ को सीमित कर सकते है।

सबसे पहले किसानों को फसल बीमा के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी जिसमे किसानों को समय से उन्नत बीज, रासायनिक खाद या जैविक उर्वरक, सिंचाई सुविधा, बिजली और मशीनी उपकरण प्रदान किया जा सके। खेती मे होने वाले आकस्मिक नुकसान और बरबादी के लिए उनको

दुर्घटना राहत या फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे उनकी भरपाई हो सके तथा समझौता के तहत इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आकस्मिक घटना, बाढ़, सूखा, ओला, पाला जैसी घटनाओं मे उनको छूट मिले।

किसानों को जागरुकता के माध्यम से समझौता फसल के लाभ के प्रति जानकारी दी जानी चाहिए समय समय पर उच्च उत्पादकता हेतु प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, कुछ फसलों के उत्पादन पर अतिरिक्त बोनस भी देने का प्रवधान होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों मे पंचायत स्तर पर कृषि विकास केन्द्र अथवा कृषि सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए जिससे किसानों को विविध प्रकार की समस्या और उसके निदान से अवगत कराया जा सके साथ ही यहॉ पर मौसम पूर्वानुमान की भी जनकारी स्थानीय रूप से प्रदान की जानी चाहिए।

भारतीय कृषि प्रणाली मे एक प्रमुख समस्या यह है कि लगातार जोत इकाइयों अथवा खेतों के आकार, लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं जिसका कारण पारिवारिक और सामाजिक रूप से भूमिका, पीढ़ीगत बटवारा है परंतु इसके लिए सहकारी कृषि या सामूहिक कृषि के माध्यम से जोत का आकार और उत्पादकता दोनों मे वृद्धि की जा सकती है इसके लिए निगरानी तथा लगातार देखरेख की आवश्यकता तथा नए सिरे से भूमि सुधार प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए। खेतों मे ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण और उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे समय, लागत और श्रम तीनों की बचत होगी इतना ही नही लाभ के अनुपात मे समानुपाती वृद्धि होगी।

भारतीय कृषि मे सबसे प्रमुख समस्या वित्तीय उपलब्धता है इसके लिए किसानों को स्थानीय पूँजीपती, जमीनदार या बड़े भू स्वामियों पर निर्भर रहना पड़ता है जो ऊँची ब्याज दर पर सहायता उपलब्ध कराते हैं इसके लिए संस्थागत वित्तीय सुविधाओं का विस्तार और किसानों को उस तक पहुँच को आसान बनाया जाना चाहिए इसके साथ वित्तीय सहायता मे कम ब्याज दरों पर मदद दिलाई जाए जो अपने आप मे बहुत बड़ा सुधार होगा और किसानों के हित को बढ़ाएगा।